# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री जे.पी. बैरवा, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 537/2017

प्रार्थीया :- बनाम अप्रार्थी :-

1. गीतादेवी पत्नि संतोषचंद
जाति-जीनगर, निवासी-शीतला
माता रोड,जैतारण तहसील-जैतारण
जिला-पाली (राज0)

1. तहसीलदार, जैतारण
तहसील-जैतारण (जिला-पाली)

**राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956**

**तारीख रजू:.26/05/2017**

उपस्थित:. 1. श्री नितेश चौहान, अधिवक्ता, सायल।

**-:: निर्णय ::-** **दिनॉक:- 15/01/2018**

वकील मय प्रार्थीया ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956, के तहत् विरूद्ध गै0सा0 इस आशय का राजस्व मौजा-जैतारण, पटवार हल्का-जैतारण, तहसील-जैतारण, जिला-पाली में प्रार्थीया की खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 131 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा आई हुई हैं। उक्त खसरान् भूमि जो सम्पूर्ण ही प्रार्थीया के नाम खातेदारी दर्ज है तथा एक मात्र खातेदार काश्तकार है उक्त खसरान् भूमि मे प्रार्थीया का ही कब्जा काश्त रहा है तथा वर्तमान में भी है जिस पर अन्य किसी का कोई हक अधिकार नही है नकल जमाबन्दी नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ पेश हैं, जिसे प्रार्थना पत्र का आवश्यक भाग माना जावे । उपरोक्त खसरान् भूमि के नापचौप एवं सीमाज्ञान करावाने बाबत् अप्रार्थी तहसीलदार साहब जैतारण को कई बार प्रार्थना पत्र पेश किये तथा कई बार जनसुनवाई तथा कैम्प मे भी उकत खसरान् भूमि के सीमाज्ञान करवाने बाबत् प्रार्थना पत्र पेश किये, लेकिन अप्रार्थी द्वारा आज दिन तक किसी प्रकार की कार्यवाही नही की तथा न ही अप्रार्थी द्वारा एवं पटवार हल्का द्वारा प्रार्थीया की भूमि का सीमाज्ञान किया गया जिसमें प्रार्थीया को काफी परेशानीयों का सामना करना पड रहा है तथा पडौसी खसरान खातेदार इसय बात का फायदा उठाते हुए आए दिन प्रार्थीया को सीमा विवाद बाबत् तंग व परेशान करते हैं तथा प्रार्थीया के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग मे दखलन्दाजी पैदा करते हैं। इस कारण बार बार मौके पर विवाद होते है जिससे प्रार्थीया को परेशानीयों का सामना करना पडता है। प्रार्थीया द्वारा कई बार अप्रार्थी के साथ पटवार हल्का जैतारण को उक्त खसरान भूमि का सीमाज्ञान कर पत्थरगड्डी करवाने बाबत् प्रार्थना पत्र पेश किया लेकिन आज दिन तक अप्रार्थी तथा पटवारी हल्का द्वारा मौके पर सीमाज्ञान नही किया गया उक्त खसरा भूमि के आस पास के पडौसी खातेदार ताकतवर व बदमाश प्रवृति के व्यक्ति है तथा प्रार्थीया की फसल आदि को खुर्द बुर्द करते है तथा आए दिन प्रार्थीया की आराजी का सीमाज्ञान को लेकर विवाद करते हैं। इस प्रकार यदि अगर प्रार्थीया की मेडबंदी बाड तथा सीमा पाला आदि बिखेर देते है सीमा विवाद करते है तथा प्रार्थीया को अपने खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि में मेडबंदी तारबंदी पत्थरगड्डी नही करने देगे तो

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

प्रार्थीया को अपनी आराजी में काश्त करने में काफी तकलीफ व दिक्कते आयेगी जिससे प्रार्थीया अपने जायज हक अधिकारो से वंचित होना पडेगा इसलिए यह प्रार्थना पत्र सीमाज्ञान करवाने एवं तारबंदी करवाने पत्थरगड्डी करवाने मांठे कयम करवाने व नेखमबंदी कराने का विरुद्ध अप्रार्थी के पेश किया जा रहा है। दिनॉक 19/05/2017 को अप्रार्थी एवं पटवारी हल्का जैतारण को प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन करने पर भी सीमाज्ञान नही करने पर व पडौसी खसरान भूमि के खातेदारों द्वारा मौके पर विवाद करने एवं मेडबंदी बिखेरने एवं अवैध अतिक्रमण करने की धमकीया देने एवं सीमाज्ञान करवाने का कथन करने पर सीमा विवाद उत्पन्न हुआ इसलिए प्रार्थीया का उक्त खसरा भूमि का मौके पर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी, तारबंदी मेडबंदी करवायी जावे इस आशय का प्रार्थना पत्र बहक प्रार्थीया विरुद्ध अप्रार्थी के सादिर पेश है।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज किया गया। अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार जैतारण ने जबाब पेश किया हैं कि पटवार हल्का-जैतारण से तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की गई। मौजा-जैतारण में खसरा नम्बर 131 रकबा 3-16 बीघा के मौके के आसपास कॉलोनी बसी हुई हैं। इस कारण आसपास कोई मुस्तकिल बिन्दु नहीं होने से सीमांकन नहीं किया जा सकता हैं। उक्त खसरा नम्बर के सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी हेतु सैटलमेन्ट एवं राजस्व की संयुक्त टीम द्वारा ही सीमांकन करवाया जा सकता हैं।

बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार जैतारण ने जबाब में जाहिर किया हैं कि सैटलमेन्ट की संयुक्त टीम से सीमांकन किया जा सकता हैं। तहसीलदार के जबाब से हम संतुष्ठ हैं। तहसीलदार जैतारण को आदेश दिया जाता हैं कि सैटलमेन्ट विभाग से समन्वय कर संयुक्त टीम का गठन करें। सैटलमेन्ट विभाग की निर्धारित फीस हैं। वह फीस प्रार्थी नियमानुसार जमा करावें।

## -:: आदेश ::-

अतः प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं। राजस्व मौजा-जैतारण, पटवार हल्का-जैतारण, तहसील-जैतारण, जिला-पाली में प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 131 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा की भूमि का भू-प्रबन्धक अधिकारी (सैटलमेन्ट विभाग) जोधपुर व तहसीलदार जैतारण की संयुक्त टीम से पेमाईश व सीमांकन कर पत्थरगढ़ी / नेखमबन्दी करवाया जाने हेतु तहरीर जारी हो। प्रार्थी द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करवाने पर टीम गठित कर उक्त भूमि की पेमाईश व सीमांकन कर पत्थरगढ़ी / नेखमबन्दी करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला-पाली (राज०)

निर्णय आज दिनॉक 15/01/2018 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला-पाली (राज०)

Scanned by CamScanner